न्यायालय सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला

पीठासीन अधिकारी : पूरण कुमार शर्मा, आर.जे.एस. (DJ Cadre)

सेशन प्रकरण संख्या – 10/2020

CNR No.RJJR01-000088-2020

राजस्थान राज्य

बनाम

1. राजूराम पुत्र स्व. घेवरराम,
2. विनोद पुत्र ओमप्रकाश,
3. मुकेश पुत्र स्व. घेवरराम,
4. लालाराम पुत्र मांगीलाल, निवासीगण–बांकलिया, पुलिस थाना पीपाडशहर, जिला जोधपुर ग्रामीण

———— **अभियुक्तगण**

अपराध धारा 341, 364 अथवा 364/34, 365 अथवा 365/34, 367 अथवा 367/34, 323 अथवा 323/34, 325 अथवा 325/34, 440, 427 व 307 अथवा 307/34 भादसं

प्राथमिकी संख्या 210/2019, पुलिस थाना–पीपाडशहर

उपस्थिति :

1. श्री चैनसिंह गहलोत, विद्वान् लोक अभियोजक–**राज्य**
2. श्री जस्साराम चवेल, विद्वान अधिवक्ता–**अभियुक्तगण**

:: निर्णय :: **दिनांक : 11/06/2026**

1. यह प्रकरण पुलिस थाना–पीपाडशहर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 210/2020 में अनुसंधान के पश्चात् न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़शहर के समक्ष अभियुक्तगण राजूराम, विनोद, मुकेश व लालाराम वगैरा के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 364, 365, 367, 247, 440, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता में आारोप–पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड शहर के द्वारा दिनांक 13/12/2019 को धारा–207 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों की पालना कर पत्रावली सेशन न्यायधीश, जोधपुर जिला को उपार्पित किया गया, जिस पर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 13/01/2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी परसाराम द्वारा एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 16/07/2019 को सायं करीब

07:00 बजे इसका छोटा भाई बलदेवराम मोटरसाइकिल लेकर बांकलिया से जाटियावास आ रहा था कि बांकलिया महादेवजी मंदिर से थोड़ा आगे राजूराम, मुकेश, ओमप्रकाश, विनोद व लालाराम पर्वू तैयारी के साथ इसके भाई बलदेवराम को जान से खत्म करने की नीयत से धारदार हथियार, लोहे की रोड, लाठियों से लैस होकर डम्पर गाडी व कैम्पर लिए हुए खड़े थे तथा पूर्वयोजनानुसार डम्पर नंबर आर. जे.19–जीबी–4148 बलदेव के आडे फेर दिया तथा कैम्पर नंबर आर.जे. 19–जीई–2430 से बलदेवराम के मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर बलदेवराम को खत्म करने की कोशिश की, जिससे मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। तत्पश्चात् सभी बलदेवराम को उठाकर जबरदस्ती कैम्पर गाडी में डालकर वापस बांकलिया सरहद की तरफ खेत में ले जाने लगे। बलदेवराम के हल्ला करने पर यह व हडमानराम गए तो राजूराम, मुकेश, ओमप्रकाश, विनोद व लालाराम धारिया, लोहे के सरिया, रॉडे व लाठियों से अंधाधुंध मारपीट कर रहे थे। ओमप्रकाश ने धारदार धारिया से बलदेवराम के डावे हाथ की कोहनी पर, जीमणे पैर की नली पर मारी जिससे गंभीर चोटें आईं व बाकी लोगों ने लोहे की रोड, सरिया व लाठियों से बलदेवराम के शरीर पर जगह बजगह मारी। इसने, हडमानराम व परसाराम ने बीच–बचाव कर छुडाया। ये बलदेवराम को पीपाड़शहर अस्पताल लेकर गए, लेकिन बलदेवराम के गंभीर चोटें होने की वजह से प्राथमिक उपचार कर जोधपुर रैफर कर दिया, इत्यादि।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना पीपाडशहर द्वारा प्रकरण संख्या 210 / 2019, अन्तर्गत धारा 341, 323, 365, 427, 307 / 34 भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण राजूराम व अन्य के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325, 364, 365, 367, 427, 440, 307 / 34 के अधीन अपराधों के विचारण हेतु उपरोक्तानुसार आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. उभय पक्षकारान् की बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण **ओमप्रकाश, मुकेश, लालाराम व राजूराम** को धारा 341, 364 अथवा 364 / 34, 365 अथवा 365 / 34, 367 अथवा 367 / 34, 323 अथवा 323 / 34, 325 अथवा 325 / 34, 440, 427 व 307 अथवा 307 / 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान् को पेश कर परीक्षित करवाया गया :–

पी.डब्ल्यू.–1 ओपाराम	पी.डब्ल्यू.–2 मजरूब बलदेवराम
पी.डब्ल्यू.–3 डॉक्टर धर्मेन्द्र सुथार	पी.डब्ल्यू.–4 परिवादी परसाराम
पी.डब्ल्यू.–5 विक्रम परिहार	पी.डब्ल्यू.–6 मदनलाल
पी.डब्ल्यू.–7 रामेश्वर	पी.डब्ल्यू.–8 वीर विक्रम
पी.डब्ल्यू.–9 मुरलीधर	पी.डब्ल्यू.–10 महेश कुमार मीणा

6. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाया गया :–

नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी–1	फर्द निरीक्षण मोटरसाइकिल प्रदर्श पी–2
चोट प्रतिवेदन बलदेवराम प्रदर्श पी–3	चिकित्सकीय राय प्रदर्श पी–4
पुलिस बयान मदनलाल प्रदर्श पी–5	फर्द घटनास्थल तस्दीक प्रदर्श पी–6
फर्द जब्ती बोलेरो कैम्पर बकब्जा राजूराम प्रदर्श पी–7	फर्द नक्शा नजरी जब्तीस्थल प्रदर्श पी–8
फर्द जब्ती लोहे का सरिया बकब्जा विनोद प्रदर्श पी–9	फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल लोहे का सरिया प्रदर्श पी–10
फर्द जब्ती लकडी की लाठी बकब्जा राजूराम प्रदर्श पी–11	फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल लकडी की लाठी प्रदर्श पी–12
फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–13	फर्द जब्ती लोहे का सरिया बकब्जा मुकेश प्रदर्श पी–14
फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल लोहे का सरिया प्रदर्श पी–15	फर्द जब्ती बांस की लाठी बकब्जा लालाराम प्रदर्श पी–16
नक्शा नजरी बरामदगीस्थल बांस की लकडी प्रदर्श पी–17	फर्द गिरफ्तारी विनोद प्रदर्श पी–18
फर्द गिरफ्तारी राजूराम प्रदर्श पी–19	फर्द गिरफ्तारी लालाराम प्रदर्श पी–20
फर्द गिरफ्तारी मुकेश प्रदर्श पी–21	फर्द इत्तला द्वारा विनोद प्रदर्श पी–22
फर्द इत्तला द्वारा राजूराम प्रदर्श पी–23	फर्द इत्तला द्वारा राजूराम प्रदर्श पी–24
फर्द इत्तला द्वारा विनोद प्रदर्श पी–25	फर्द इत्तला द्वारा राजूराम प्रदर्श पी–26
फर्द इत्तला द्वारा मुकेश प्रदर्श पी–27	फर्द इत्तला द्वारा लालाराम प्रदर्श पी–28
मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–29	मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–30
फर्द इत्तला द्वारा लालाराम प्रर्श पी–31	फर्द इत्तला द्वारा मुकेश प्रदर्श पी–32
फर्द इत्तला द्वारा मुकेश प्रदर्श पी–33	फर्द जब्ती बिना नंबरी ट्रक प्रदर्श पी–34
फर्द जब्ती स्थल ट्रक प्रदर्श पी–35	

7. दिनांक 09 / 06 / 2026 को अभियुक्तगण राजूराम, विनोद, मुकेश व लालाराम के मुलजिम बयान अन्तर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किये गये तो उन्होंने अभियोजन साक्षीगण द्वारा गलत साक्ष्य देना व उसे झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

8. मैंने उभय पक्षकारान् की बहस अंतिम सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य, अभियुक्तगण पर विरचित किये गये आरोप तथा पक्षकारान् की बहस को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष को निम्न बिन्दु को साबित किया जाना आवश्यक :–

1. *''क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16 / 07 / 2019 को शाम करीब 07:00 बजे या इसके लगभग सरहद मौजा बांकलिया में पीपाडशहर से जोधपुर जाने वाली रोड पर सामान्य आशय के अग्रसरण की पूर्ति में परिवादी परसाराम के छोटे भाई बलदेवराम की मोटरसाइकिल के आगे डम्पर नंबर आर.जे.19–जी.बी.–4148 व कैम्पर गाडी नंबर आर.जे.19–जी.ई.–2430 को खड़ा कर उसकी मोटरसाइकिल के आडे फिरकर सदोष अवरोध बलदेवराम को बल द्वारा, धमकी देकर, प्रवंचनापूर्ण उपायों से उत्प्रेरित कर यह संभाव्य जानते हुए कि उसे घोर उपहति पहुचाई जाएगी, बलदेवराम का अपरहरण / व्यपहरण किया तथा उसके साथ कुन्दआला से मारपीट कर उसे शरीर के विभिन्न स्थानों पर साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की तथा बलदेवराम की मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् उसकी मोटरसाइकिल को डम्पर व कैम्पर गाड़ी से टक्कर मारकर, क्षतिग्रस्त कर चोटें इस आशय, ज्ञान और परिस्थितियों में पहुंचाई कि यदि इससे उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते ?*

यदि हाँ, तो उसके लिए उपयुक्त दण्ड क्या है ?

9. **विद्वान् लोक अभियोजक श्री चैनसिंह गहलोत** ने प्रकरण में बहस अंतिम करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से भलीभांति साबित है। प्रकरण में मजरूब / अपहृत पी.डब्ल्यू.–2 बलदेवराम ने अपनी सशपथ साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट का पूर्णतः समर्थन किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा स्वयं का अपहरण कर ले जाना तथा मारपीट करने का कथन किया है, जिसकी साक्ष्य का समर्थन अभियोजन के चश्मदीद साक्षीगण **पी.डब्ल्यू.–4 परसाराम, पी.डब्ल्यू.–5 हनुमानराम** ने अपनी साक्ष्य से किया है, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में कथन किये हैं कि बलदेवराम के साथ अभियुक्तगण ने मारपीट कर उसे कैम्पर गाड़ी में डालकर ले गये। **साक्षी पी.डब्ल्यू.–1 ओपाराम** ने नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी–1 व फर्द जब्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श

पी—2 को साबित करते हुए उन पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। मजरूब बलदेवराम के शरीर पर कारित चोटों को **साक्षी पी.डब्ल्यू.—3 डॉ. धर्मेन्द्र सुथार** ने साबित किया है। **साक्षी पी.डब्ल्यू.—10 अनुसंधानाधिकारी महेशसिंह मीणा** ने प्रकरण में स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान, फर्द नक्शा व हालात मौका, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण, फर्द बरामदगी को साबित किया है। लिहाजा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता **श्री जस्साराम चवेल** द्वारा बहस की गयी है कि मजरूब बलदेवराम व अभियुक्त राजूराम आपस में साझेदार थे, जिसके मध्य साझेदारी के लेन—देन का विवाद है, जिस तथ्य को परिवादी व मजरूब ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार भी किया है, के आधार पर यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। उनका यह भी तर्क रहा कि पुलिस घटनास्थल पर अभियुक्तगण द्वारा घटनास्थल तस्दीक करवाने से पूर्व जा चुकी थी, जिस तथ्य को बरामदगी के साक्षीगण पी.डब्ल्यू.—8 वीर विक्रम व पी.डब्ल्यू.—9 मुरलीधर ने स्वीकार किया है, जिससे मामले में पुलिस द्वारा की गयी बरामदगी संदिग्ध हो जाती है। **साक्षीगण पी.डब्ल्यू.—2 मजरूब/अपहृत बलदेवराम व पी.डब्ल्यू.—4 परसाराम** आपस में भाई होकर हितबद्ध साक्षीगण है, जिनकी साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। साक्षी पी.डब्ल्यू.—10 अनुसंधानाधिकारी महेश कुमार मीणा ने जिरह में स्वीकार किया है कि मुलजिमान व मजरूब के बीच व्यापार के हिसाब को लेकर आपसी विवाद है तथा अनुसंधानाधिकारी की साक्ष्य जिरह में अखण्डित नहीं रही है। उनका यह भी तर्क है कि साक्षी पी.डब्ल्यू.—3 डॉक्टर धर्मेन्द्र सुथार ने जिरह में स्वीकार किया है कि मजरूब के आई चोटें प्राणघातक नहीं थी। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरुद्ध आपराधिक घटना के संबंध में कोई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाए।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए जो साक्ष्य पेश की गई है, वह निम्न प्रकार हैः—

गवाह पी.डब्ल्यू.—1 ओपाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बयान तिथि से छह साल पहले पुलिस ने गांव में आकर घटनास्थल का नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी—1 बनाया था। पुलिस ने क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल का मुआयना इसके सामने कर फर्द प्रदर्श पी—2 बनाई थी।

गवाह पी.डब्ल्यू.—2 मजरूब बलदेवराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वर्ष 2019 में राजूराम इसका जेसीबी में साझेदार था। घटना से छह माह पहले

इन्होंने आपस में बराबर का हिसाब कर लिया था। यह शाम को 7 बजे वापस आ रहा था, तब रास्ते में राजूराम, ओमप्रकाश, मुकेश रास्ते में अपनी होटल पर कैम्पर गाडी लिए हुए खड़े थे। आगे एक डम्पर में लालाराम व विनोद थे। यह होटल से आगे आया तो पीछे से कैम्पर गाडी ने इसको टक्कर मारी। कैम्पर गाडी को राजूराम चला रहा था ओमाराम व मुकेश कैम्पर गाडी के अंदर थे, टक्कर लगने से यह नीचे गिर गया। आगे डम्पर में से लालाराम व विनोद उतरे और इसे कैम्पर में डाल दिया और बीरमजी के बाडे पास में लेकर चले गए थे। वहां पर इन लोगों ने इसको नीचे पटक कर इसके साथ मारपीट की थी। इन लोगों ने इसके साथ लोहे के सरिये, लाठियां व धारदार हथियारों से मारपीट की, जिससे इसके पूरे शरीर में चोटे आई थी तथा दोनों हाथ टूट गए व सिर में चोटें आई थी। फिर यह बेहोश हो गया था। फिर वहां पर इसने हल्ला किया तो पीपाड की तरफ से इसके बडे पिताजी का बेटा आ रहा था जो इसे अस्पताल लेकर गया। यह अचेत अवस्था में था, खून से लथपथ हो गया था। फिर पीपाड अस्पताल में लाने के बाद में इसे जोधपुर रैफर कर दिया, फिर पुलिस इसके बयान लेने के लिए जोधपुर अस्पताल आए थे।

गवाह पी.डब्ल्यू.–3 डॉक्टर धर्मेन्द्र सुथार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह दिनांक 16 / 07 / 2019 को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीएचसी पीपाड शहर में कार्यरत था। उस रोज पुलिस थाना पीपाड शहर के प्रतिवेदन पर मजरूब बलदेवराम के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया। मजरूब के बाई कलाई, बाई भुजा, बाई कोहनी, पीठ के दाहिनी तरफ, दाहिनी कलाई से उपर, दाहिने पांव के उपर, बायें कंधे, पीठ व बांये पांव पर चोटें कारित थीं। मजरूब होश में था। उसको जरूरी चिकित्सकीय सहायता हेतु हायर सेंटर पर रैफर किया था। चोट संख्या 1 व 5 की प्रकृति की राय हेतु एक्स–रे की सलाह दी गई। एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार मजरूब की चोट संख्या–1 व 5 गंभीर प्रकृति की थी, जिनमें अस्थि भंग पाया गया था और शल्य चिकित्सा के चिह्न मौजूद थे। शेष सभी चोटें साधारण प्रकृति की एवं भोटे हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि 24 घंटे के भीतर थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 व इसकी राय प्रदर्श पी–4 है तथा एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–5 व प्रदर्श पी–6 है।

गवाह पी.डब्ल्यू.–4 परसाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16 / 07 / 2019 को बलदेवराम अपनी मोटरसाइकिल से बांकलिया से जाटीयावास की तरफ आ रहा था। तभी पीछे से राजूराम, मुकेश, ओमप्रकाश, विनोद, लालाराम ये लोग अपनी कैम्पर गाडी में सवार होकर बलदेवराम की मोटरसाइकिल को

टक्कर मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया। बलदेवराम भागना चाह रहा था लेकिन इन लोगों ने पकड कर उसे अपनी कैम्पर गाडी में डाल दिया और वापस बांकलिया गांव की तरफ ले गए। वहां से आधा किलोमीटर दूर पर ले जाकर उसे गिराया और उसके साथ लोहे के लगियो, सरियों से मारपीट की, जिससे उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए फिर वहां से उसको पीपाड अस्पताल लेकर गए और वहां से उसको महात्मा गांधी जोधपुर अस्पताल में रैफर कर दिया।

गवाह पी.डब्ल्यू.–5 हनुमानराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बयान तिथि से पांच–छह साल पहले यह और परसाराम आ रहे थे तब राजूराम ने बलदेवराम की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया। बलदेवराम भागना चाह रहा था लेकिन इन लोगों ने पकड कर उसे अपनी कैम्पर गाडी में डाल दिया और वापस बांकलिया गांव की तरफ ले गए। वहां से आधा किलोमीटर दूर पर ले जाकर उसे गिराया और उसके साथ लोहे के लगियो, सरियों से मारपीट की, जिससे उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए फिर वहां से उसको पीपाड अस्पताल लेकर गए और वहां से उसको महात्मा गांधी जोधपुर अस्पताल में रैफर कर दिया।

पी.डब्ल्यू.–6 मदनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बयान तिथि से करीब दो साल पहले यह अपने घर पर ही था। इसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई थी, ना ही इसने मारपीट होते देखा था। इसके सामने बलदेवराम के साथ राजूराम, मुकेश, विनोद व लालाराम ने मारपीट नहीं की थी और ना ही इसने मारपीट होने की बात सुनी थी। **अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर साक्षी को अभियोजन का पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

पी.डब्ल्यू.–7 विक्रम परिहार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि इसके नाम से एक गाडी ट्रक आर.जे.19–जी0बी0–4148 का आम मुख्त्यानामा इसके नाम पर हुआ है। यह आम मुख्त्यारनामा मुकेश ने इसके नाम से लिखा था। इस वाहन को अगर मुकेश ने किसी घटना में प्रयुक्त किया हो तो इसे पता नहीं है। इसने उक्त वाहन को किसी को भी चलाने के लिए नहीं दिया था।

पी.डब्ल्यू.–8 वीर विक्रम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह दिनांक 25 / 07 / 2019 को पुलिस थाना पीपाड शहर में एफसी के पद पर तैनात था। उस रोज प्रकरण संख्या 210 / 2019 में मुलजिमान राजूराम व विनोद द्वारा अनुसंधान अधिकारी को दी गई इत्तलानुसार घटनास्थल तस्दीक करवाने की फर्द प्रदर्श पी–6 है। दिनांक 26 / 07 / 2019 को मुलजिम राजूराम द्वारा दी गई इत्तलानुसार घ टना में प्रयुक्त एक बोलेरो कैम्पर गाड़ी आर.जे.19–जी.ई.–2430 व एक लकडी की

लाठी को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–7 व प्रदर्श पी–11 के जब्त किया था, जिनका नजरी नक्शा क्रमशः प्रदर्श पी–8 व प्रदर्श पी–12 है। उसी रोज अभियुक्त विनोद द्वारा दी गई इत्तलानुसार घटना में प्रयुक्त एक लोहे के सरिये को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–9 के जब्त किया, जिसका नजरी नक्शा प्रदर्श पी–10 है।

पी.डब्ल्यू.–9 मुरलीधर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह दिनांक 12 / 08 / 2019 को पुलिस थाना पीपाड शहर में एफसी के पद पर तैनात था। उस रोज प्रकरण संख्या–210 / 2019 में मुलजिमान मुकेश व लालाराम द्वारा दी गई इत्तलानुसार घटनास्थल तस्दीक करवाने की फर्द प्रदर्श पी–13 तैयार की थी। उसी रोज मुलजिम मुकेश व लालाराम द्वारा दी गई इत्तलानुसार घटना में प्रयुक्त एक लोहे का सरिया व बांस की लाठी को कब्जा पुलिस लेकर क्रमशः फर्द जब्ती प्रदर्श पी–14 व प्रदर्श पी–16 के जब्त किया, जिनका नजरी नक्शा क्रमशः प्रदर्श पी–15 व प्रदर्श पी–17 है।

गवाह पी.डब्ल्यू.–10 महेश कुमार मीणा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह दिनांक 17 / 07 / 2019 को पुलिस थाना में एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज प्रकरण संख्या–210 / 2019 की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु इसे प्राप्त हुई। अनुसंधान के दौरान इसने घटनास्थल का नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी–1 तैयार किया। मजरूब का मेडिकल मुआयना करवाकर चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट व एक्सरे प्लेट्स शामिल पत्रावली की। अनुसंधान के दौरान इसने गवाहान मदनलाल के बयान प्रदर्श पी–5 व गवाहान जीवणराम, ओमप्रकाश, बबलू उर्फ सुनील, विक्रम परिवाहर, हनुमानराम, परसाराम, बलदेवराम के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। अनुसंधान के दौरान मुलजिमानों के विरूद्ध जुर्म साबित होने पर दिनांक 25 / 07 / 2019 को मुलजिम विनोद व मुलजिम राजूराम को एवं दिनांक 11 / 08 / 2019 को मुलजिम लालाराम व मुलजिम मुकेश को क्रमशः जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–18 व प्रदर्श पी–19 एवं प्रदर्श पी–20 व प्रदर्श पी–21 के गिरफ्तार किया। अनुसंधान के दौरान क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल नंबर आरजे 19 एसई 4136 को निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल प्रदर्श पी–2 तैयार की। अनुसंधान के दौरान मुलजिम विनोद द्वारा दी गई इत्तला प्रदर्श पी–22 के अनुसार एक लोहे के सरिये को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–10 के जब्त किया। मुलजिम राजूराम द्वारा दी गई इत्तला प्रदर्श पी–23 के अनुसार घटना में प्रयुक्त बोलेरो कैम्पर गाडी आरजे 19 जीई 2430 को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–7 के जब्त किया, जिसका नजरी नक्शा प्रदर्श पी–8 है। मुलजिम राजूराम द्वारा दी गई इत्तला प्रदर्श पी–24 के अनुसार एक लकड़ी की लाठी को जरिए

फर्द जब्ती प्रदर्श पी–11 के जब्त किया, जिसका नजरी नक्शा प्रदर्श पी–12 है। जैर हिरासत मुलजिम राजूराम व मुलजिम मुकेश व मुलजिम लालाराम द्वारा बलदेवराम को टक्कर मारकर मारपीट करने वाले स्थान की इत्तला क्रमशः प्रदर्श पी–26, प्रदर्श पी–27 व प्रदर्श पी–28 दी। इत्तलानुसार अभियुक्तगण राजूराम व विनोद ने घटनास्थल प्रदर्श पी–6 के तस्दीक करवाया तथा अभियुक्तगण मुकेश व लालाराम ने जरिए घटनास्थल को जरिए फर्द प्रदर्श पी–13 के तस्दीक करवाया। प्रकरण में जब्त सुदा वाहनों का मैकेनिकल मुआयना करवाकर उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–29 शामिल पत्रावली की। प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल को थाने के मालखाने में जमा करवाया। मालखाने रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–30 है। अनुसंधान के दौरान मुलजिम लालाराम द्वारा दी गई ईत्तला प्रदर्श पी–31 के अनुसार एक लकडी की लाठी को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–16 के जब्त किया, जिसका नजरी नक्शा प्रदर्श पी–17 है। मुलजिम मुकेश द्वारा दी गई इत्तला प्रदर्श पी–32 के अनुसार एक लोहे का सरिया जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–14 के जब्त किया गया, जिसका नजरी नक्शा प्रदर्श पी–15 है। अभियुक्त मुकेश द्वारा दी गई इत्तला प्रदर्श पी–33 के अनुसार ट्रक डम्पर आरजे 19 जीबी 4148 को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–34 के जब्त किया, जिसका नजरी नक्शा प्रदर्श पी–35 है। बाद अनुसंधान मुलजिमान राजूराम, विनोद, मुकेश, लालाराम के विरूद्ध जुर्म धारा 323, 341, 325, 364, 365, 367, 427, 440, 307 / 34 भारतीय दंड संहिता प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली न्यायालय में आरोप पत्र पेश करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना पीपाड शहर को सुपुर्द की, जिन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

11. मैंने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पी.डब्ल्यू.–2 बलदेवराम (मजरूब / अपहृत) तथा साक्षीगण पी.डब्ल्यू.–4 परसाराम (चश्मदीद) व पी.डब्ल्यू.–5 हनुमानराम (चश्मदीद) हैं। साक्षी पी.डब्ल्यू.–2 बलदेवराम** ने **अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि** राजूराम इसका साझेदार था। वर्ष 2019 में शाम को 07:00 बजे यह बाकलिया गांव से वापस आ रहा था, तब रास्ते में राजूराम, ओमप्रकाश, मुकेश रास्ते में अपनी होटल पर कैम्पर गाडी लिए हुए खड़े थे तथा डम्पर में लालाराम व विनोद थे। यह होटल से आगे आया तो पीछे से कैम्पर गाडी ने इसको टक्कर मारी। कैम्पर गाडी को राजूराम चला रहा था, टक्कर लगने से यह नीचे गिर गया। डम्पर से लालाराम व विनोद उतरे और इसे कैम्पर में डाल दिया और बीरमजी के बाडे पास में लेकर चले गए थे। वहां पर इन लोगों ने इसको नीचे पटक कर इसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने **जिरह** में कथन

किया है कि यह और राजूराम दोनों साथ में साझेदार के रूप में धंधा करते थे। साक्षी ने जिरह में इस सुझाव से इन्कार किया है कि इसके व राजूराम के बीच काम धंधे को लेकर इस घटना से पूर्व किसी तरह की बोलचाल हुई हो। साक्षी ने जिरह में इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके शरीर पर मोटरसाइकिल के नीचे गिरने से फिसलने से चोटे आई हो। यह रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में पुलिस के साथ मौके पर नहीं गया था। साक्षी ने जिरह में स्वीकार किया है कि जिस स्थान पर इसके साथ में मारपीट हुई थी, वो सड़क आम सडक के नजदीक थी और वहां से साधन आते जाते थे। इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पास के लोग मौके पर आ गए थे और इसका भाई भी आ गया था। गांव वालों ने हल्ला किया तब उन लोगों ने इसको घायल अवस्था में छोड़ दिया था। इस प्रकार मजरूब बलदेवराम द्वारा दी गयी साक्ष्य में मजरूब ने प्रकट किया है कि राजूराम व मुकेश कैम्पर लेकर एवं विनोद व लालाराम डम्पर लेकर खड़े थे, जब यह जा रहा था तो राजूराम ने कैम्पर गाड़ी से इसके टक्कर मारी तथा इसको कैम्पर गाड़ी में डालकर बाकलिया ले गये, जहां इसके साथ लोहे के सरिये व लाठी से मारपीट की। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण पर मजरूब का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने का आरोप है तथा प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पी.डब्ल्यू.–2 मजरूब परसाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण के नाम भी बताये हैं तथा अभियुक्तगण द्वारा लोहे के सरिये व लाठी से मारपीट करना भी बताया है तथा अभियुक्तगण से लोहे के सरिये व लाठी की बरामदगी भी हुई है। इसके अतिरिक्त मजरूब ने अपनी साक्ष्य में इसका अपहरण कर ले जाने के संबंध में सामान्य कथन किये है, लेकिन मजरूब ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसका अपहरण कहां से किया गया था। यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि साक्षी पी.डब्ल्यू.–2 बलदेवराम ने अपनी साक्ष्य में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्तगण ने उसका हत्या करने के आशय से धमकी देकर अपहरण किया हो। इसके अतिरिक्त साक्षी द्वारा दी गयी साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट हुआ है कि मजरूब के साथ मारपीट की घटना दो बार हुई थी। एक बार जब यह रास्ते से जा रहा था तब एवं दूसरी बार इसका तथाकथित रूप से अपहरण करने के बाद बाकलियां गांव में। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि मजरूब द्वारा दी गयी साक्ष्य से मजरूब का अभियुक्तगण द्वारा अपहरण करने का तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, परन्तु मजरूब की साक्ष्य से यह अवश्य प्रकट हुआ है कि अभियुक्तगण द्वारा मजरूब के साथ लोहे के सरिये व लाठियों से मारपीट की गयी थी, जिससे मजरूब के शरीर

पर चोटें कारित हुई थी, जिस तथ्य का समर्थन साक्षीगण पी.डब्ल्यू.–4 परसाराम व पी.डब्ल्यू.–5 हनुमानाराम ने भी किया है। इस संबंध में मजरूब पी.डब्ल्यू.–2 बलदेवराम का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 भी पत्रावली पर उपलब्ध है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 के अनुसार मजरूब बलदेवराम के बायीं कलाई, बायीं भुजा, बायीं कोहनी, पीठ, पांव पर 9 चोटें कारित थीं, जिसमें से बायीं कलाई पर कारित चोट संख्या–1 व दायीं कलाई पर कारित चोट संख्या–5 एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 व प्रदर्श पी–6 के अनुसार गंभीर प्रकृति की थी, परन्तु चिकित्सक की साक्ष्य के अनुसार उक्त चोट प्राणघातक नहीं थी। साक्षी पी.डब्ल्यू.–2 बलदेवराम के उक्त कथनों की पुष्टि **साक्षीगण पी.डब्ल्यू.–4 परिवादी परसाराम व पी.डब्ल्यू.–5 हनुमानाराम** ने भी अपनी साक्ष्य से की है, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में कथन किये है कि बयान तिथि से करीब 5–6 साल पहले राजूराम ने बलदेवराम की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी थी। **जिरह** में साक्षी परसाराम ने कथन किया है कि हल्ला सुनकर यह मौके पर गया था, वहीं **जिरह** में साक्षी हनुमानाराम ने कथन किया है कि घटना के दिन यह पीपाड़ से घर की तरफ आ रहा था, साथ ही साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि इसके व परसाराम के अलावा घटनास्थल पर कोई नहीं था। अभियोजन साक्षीगण पी.डब्ल्यू.–4 परिवादी परसाराम व पी.डब्ल्यू.–5 चश्मदीद साक्षी हनुमानाराम की साक्ष्य के तुलनात्मक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में मारपीट की घटना अवश्य हुई थी। मारपीट की घटना के समय बलदेवराम के चिल्लाने पर परसाराम बीच–बचाव करने गया था, जिस तथ्य की पुष्टि साक्षी पी.डब्ल्यू.–5 हनुमानाराम द्वारा जिरह में किये गये इस कथन से भी होती है कि *यह कहना सही है कि इसके व परसाराम के अलावा वहां पर और कोई नहीं था।* इस प्रकार साक्षीगण पी.डब्ल्यू.–4 परिवादी परसाराम व पी.डब्ल्यू.–5 हनुमानाराम ने एक–दूसरे की मौके पर उपस्थिति दर्शित करते हुए अभियुक्तगण द्वारा मजरूब बलदेवराम के साथ मारपीट कर उसे साधारण व गंभीर चोट कारित करने की पुष्टि की है, जिस तथ्य की संपुष्टि मजरूब के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 एवं साक्षी पी.डब्ल्यू.–3 डॉ. धर्मेन्द्र सुथार की साक्ष्य से भी हुई है। यहां यह उल्लेख किया जाना भी उचित प्रतीत होता है कि मजरूब बलदेवराम के शरीर पर कारित चोटें अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने के आशय से कारित किया जाना नहीं बताया है एवं न ही साक्षी पी.डब्ल्यू.–2 बलदेवराम ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि राजूराम ने इसे कैम्पर की टक्कर जान से मारने के आशय से मारी हो। इसके अतिरिक्त साक्षी पी.डब्ल्यू.–3 डॉ. धर्मेन्द्र सुथार ने भी मजरूब के शरीर पर कारित चोटों को प्राणघातक होना नहीं बताया है।

12. जहां तक प्रकरण में बरामदगी का प्रश्न है तो अभियुक्त राजूराम से बोलेरो गाड़ी नंबर आर.जे.19–जीई–2430 जरिए फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–7 एवं एक लकड़ी की लाठी जरिए फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–11, अभियुक्त विनोद से एक लोहे का सरिया जरिए फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–9 तथा अभियुक्त मुकेश से लोहे का सरिया जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–14 व अभियुक्त लालाराम से एक बास की लाठी जरिए फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–16 अभियुक्तगण द्वारा दी गयी धारा–27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तलानुसार साक्षीगण **पी.डब्ल्यू.–8 वीर विक्रम व पी.डब्ल्यू.–9 मुरलीधर** के सामने की गयी है। बरामदगी के तथ्य को उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य से साबित भी किया है तथा साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे की अभियुक्तगण से की गयी बरामदगी संदेहास्पद प्रतीत होती हो, बल्कि साक्षीगण ने पुष्टिकारक साक्ष्य देते हुए जिरह में स्वीकार किया है कि लाठी व सरियों की बरामदगी अभियुक्तगण के घर से की थी। साक्षीगण **पी.डब्ल्यू.–8 वीर विक्रम व पी. डब्ल्यू.–9 मुरलीधर** के कथनों की पुष्टि बरामदगीकर्ता **पी.डब्ल्यू.–10 महेश कुमार मीणा** की साक्ष्य से भी हुई है।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के अनुसार मजरूब बलदेवराम की बायीं व दायीं कलाई में अस्थिभंग की गंभीर चोट एवं शरीर के विभिन्न स्थानों पर साधारण प्रकृति की चोटें कारित हुई थी, जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 है, जिसे **साक्षी पी.डब्ल्यू.–3 डॉ. धर्मेन्द्र सुथार** ने तैयार किया था। इस संबंध में साक्षी पी.डब्ल्यू.–3 डॉ. धर्मेन्द्र सुथार की साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि इसने दिनांक 16/07/2019 को मजरूब बलदेवराम के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया था। मजरूब के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 के अनुसार मजरूब बलदेवराम के बायीं कलाई, बायीं भुजा, बायीं कोहनी, पीठ, पांव पर 9 चोटें कारित थीं। इलाज के कागजात व एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार मजरूब की बायीं व दायीं कलाई में अस्थिभंग की गंभीर चोट कारित थी, परन्तु चिकित्सक द्वारा मजरूब के शरीर पर कारित किसी चोट को प्राणघातक नहीं बताया गया है तथा इस संबंध में न्यायालय द्वारा मजरूब की चोटों पर साक्षी पी.डब्ल्यू.–2 बलदेवराम की साक्ष्य में विस्तृत विवेचन भी किया जा चुका है, जिसे यहां पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि मजरूब बलदेवराम के राजूराम द्वारा कैम्पर की टक्कर मारी गयी थी। तत्पश्चात् सभी अभियुक्तगण द्वारा

मजरूब के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचायी गयी, जिसमें से बायीं कलाई पर कारित चोट संख्या–1 व दायीं कलाई पर कारित चोट संख्या–5 गंभीर प्रकृति की थी, परन्तु अभियुक्तगण द्वारा मजरूब को कैम्पर गाड़ी से टक्कर एवं चोटें अभियुक्तगण द्वारा मजरूब की मृत्यु करने के आशय से कारित की गयी हो, यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा मजरूब का अपहरण करने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 364, 365, 367 व 307 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध साबित नहीं है, परन्तु अभियोजन पक्ष इस तथ्य को प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त राजूराम द्वारा मजरूब बलदेवराम की मोटरसाईकिल के कैम्पर गाड़ी से टक्कर मारकर उसे क्षतिग्रस्त किया गया। तत्पश्चात् सभी अभियुक्तगण द्वारा बलदेवराम के साथ मारपीट कर उसे चोटें कारित की गयी थी, जिसमें से बायीं कलाई पर कारित चोट संख्या–1 व दायीं कलाई पर कारित चोट संख्या–5 गंभीर प्रकृति की थी, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323 अथवा 323 / 34, 325 अथवा 325 / 34, 427 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित है।

13. अब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी अन्य साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो **साक्षी पी.डब्ल्यू.–1 ओपाराम** नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी–1 व फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल प्रदर्श पी–2 का औपचारिक प्रकृति का साक्षी है। **साक्षी पी.डब्ल्यू.–6 मदनलाल** अभियोजन पक्ष का पक्षद्रोही साक्षी है। **साक्षी पी.डब्ल्यू.–7 विक्रम परिहार** ने प्रकरण में जब्तशुदा डम्पर नंबर आर.जे.19–जीबी–4148 स्वयं का होना बताया है। **साक्षी पी.डब्ल्यू.–10 महेश कुमार मीणा** प्रकरण का अनुसंधानाधिकारी है, जिसने प्रकरण में स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान बाबत् साक्ष्य दी है। **जिरह** में साक्षी ने कथन किया है कि घटनास्थल के सामने होटल व मंदिर है। साक्षी ने जिरह में इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्तगण ने बरामदगी बाबत् कोई इत्तला नहीं दी हो। साथ ही साक्षी ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त पक्ष व परिवादी पक्ष में व्यापार के हिसाब को लेकर आपसी विवाद था। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि परिवादी, मजरूब एवं चश्मदीद साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा इस घटना को कारित करने का मुख्य उद्देश्य आपसी साझेदारी के लेन–देन का विवाद होना बताया है तथा अनुसंधानाधिकारी द्वारा भी इस तथ्य को अनुसंधान में प्रमाणित माना गया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा साझेदारी के लेन–देन के विवाद के कारण हस्तगत प्रकरण की घटना कारित किये जाने के तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अनुसंधानाधिकारी द्वारा जिरह में ऐसा कोई कथन

नहीं आया है, जिससे कि इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों का खण्डन होता हो।

14. विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा बहस में तर्क दिया गया है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, इस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप साबित नहीं माने जा सकते। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि हस्तगत प्रकरण की घटना दिनांक 16 / 07 / 2019 को घटित होना बतायी गयी है, जिसकी रिपोर्ट बिना किसी देरी के अगले ही दिन अर्थात दिनांक 07 / 07 / 2019 को दर्ज करवा दी गयी थी। हालांकि आपराधिक प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रकरण की धुरी होती है। यह भी सही है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, परन्तु मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रदर्शित नहीं होने मात्र से किसी प्रकार की घटना न होने की उपधारणा कर लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रकरण में परिवादी, मजरूब एवं अनुसंधानाधिकारी द्वारा ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर पूरी घटना का वृतांत न्यायालय के समक्ष रखा गया है, जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है, जिस तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर पोकरराम के उपचार के दस्तावेज से भी होती है, ऐसी स्थिति में मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रदर्शित नहीं होने का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

15. इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण **राजूराम, विनोद, मुकेश व लालाराम** द्वारा दिनांक 16 / 07 / 2019 को शाम करीब 07:00 बजे सरहद मौजा बांकलिया में परिवादी परसाराम के भाई बलदेवराम की मोटरसाइकिल के आगे डम्पर नंबर आर.जे.19–जी.बी.–4148 व कैम्पर गाडी नंबर आर.जे.19–जी.ई.–2430 को खड़ा कर कैम्पर गाडी नंबर आर.जे.19–जी.ई.–2430 से बलदेवराम की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर एवं उसके साथ मारपीट कर शरीर के विभिन्न स्थानों पर साधारण व दायीं व बायीं कलाई पर गंभीर उपहतियां कारित करने का तथ्य संदेह से परे साबित किया है, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा बलदेवराम को बल द्वारा, धमकी देकर, प्रवंचनापूर्ण उपायों से उत्प्रेरित कर यह संभाव्य जानते हुए कि उसे घोर उपहति पहुचाई जाएगी, बलदेवराम का अपहरण / व्यपहरण किया तथा मजरूब बलदेवराम को उक्त चोटें मृत्यु कारित करने के आशय से अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी थी, इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 364, 365, 367, 307 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध साबित नहीं होता है। **इस प्रकार अभियोजन**

पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध केवल धारा 341, 323 अथवा 323/34, 325 अथवा 325/34, 427 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित होता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 364, 365, 367, 307, 440 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण अपराध अन्तर्गत धारा 364, 365, 367, 307, 440 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा अभियुक्तगण को उक्त अपराधों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु को अभियुक्त के विरूद्ध आंशिक रूप से साबित करने में सफल रहा है।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर इस न्यायालय के उपरोक्तानुसार विवेचन करने के पश्चात् विचारणीय बिन्दु पर किये गये निष्कर्ष की रोशनी में न्यायालय का आदेश निम्नानुसार हैः–

:: आदेश ::

16. अतः अभियुक्तगण **राजूराम पुत्र स्व. घेवरराम, विनोद पुत्र ओमप्रकाश, मुकेश पुत्र स्व. घेवरराम एवं लालाराम पुत्र मांगीलाल, निवासीगण–बांकलिया, पुलिस थाना पीपाडशहर, जिला जोधपुर ग्रामीण** को आरोपित अपराध अन्तर्गत **धारा 364 अथवा 364/34, 365 अथवा 365/34, 367 अथवा 367/34, 307 अथवा 307/34, 440 भारतीय दण्ड संहिता** में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है, परन्तु अभियुक्तगण को **धारा 341, 323 अथवा 323/34, 325 अथवा 325/34, 427 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप संदेह से परे साबित होने से दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।** अभियुक्तगण जमानत पर है, इसलिए उनके न्यायालय में नियमित हाजरी बाबत् लिये गये जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्तगण को **सजा के बिन्दु** पर सुना जाना न्यायोचित है।

(पूरण कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला

17. निर्णयानुसार अभियुक्तगण **राजूराम, विनोद, मुकेश व लालाराम,** उनके अधिवक्ता एवं विद्वान् लोक अभियोजक को **सजा के बिन्दु पर** सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से यह निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध

है, अभियुक्तगण लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में कोई दोषसिद्धि नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध अपराध के लिए परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान् लोक अभियोजक श्री चैनसिंह गहलोत ने निवेदन किया कि मामले की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण को उपयुक्त दंड से दंडित किया जावे।

18. मैंने उभय पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण प्रथम सूचना संख्या 210 / 2019 पुलिस थाना पीपाड़शहर से उद्भूत हुआ है, जिसमें परिवादी परसाराम ने अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अभियुक्त पक्ष द्वारा यह प्रकट किया गया है कि अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य प्रकट नहीं किया गया है। अभियुक्तगण पिछले 06 वर्षों से अन्वीक्षा की पीड़ा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण को तत्काल कारावास में प्रेषित करने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना भी दर्शित नहीं होता है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को **परिवीक्षा का लाभ** दिया जाना न्यायोचित है।

:: दंडादेश ::

19. परिणामतः अभियुक्तगण **राजूराम पुत्र स्व. घेवरराम, विनोद पुत्र ओमप्रकाश, मुकेश पुत्र स्व. घेवरराम एवं लालाराम पुत्र मांगीलाल, निवासीगण–बांकलिया, पुलिस थाना पीपाडशहर, जिला जोधपुर ग्रामीण** को दोषसिद्ध अपराधों के लिए तुरंत सजा से दंडित नहीं किया जाकर उन्हें **धारा 4(1) परिवीक्षा अधिनियम का लाभ** इस शर्त पर दिया जाता है कि यदि **अभियुक्तगण** सदाचरण की परिवीक्षा बाबत् **10,000 रुपए का स्वयं का बंधपत्र व इसी कदर राशि की जमानत एक वर्ष की अवधि के लिए** इस न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावें कि इस दौरान वे शांति, सदाचरण व सद्व्यवहार बनाये रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे एवं इसका उल्लंघन करने पर स्वयं सजा भुगतने के लिए उपस्थित रहेंगे।

साथ ही **धारा–5 परिवीक्षा अधिनियम** के तहत प्रत्येक अभियुक्त पर पर 5000 / – (अक्षरे पांच हजार रूपये) अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन व्यय की राशि जमा कराये जाने की स्थिति में संपूर्ण 20,000 / – (अक्षरे बीस हजार रूपये) की राशि बतौर क्षतिपूर्ति मजरूब बलदेवराम (पी.डब्ल्यू.–4) को नियमानुसार नोटिस जारी कर अविलम्ब अदा

किया जाना सुनिश्चित किया जावे। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन व्यय जमा करवाने पर अभियुक्तगण को **सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।**

अभियुक्तगण को धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत छह माह के लिए प्रभावी जमानतनामा–मुचलकानामा तादादी 10,000–10,000 रूपये इस आशय के साथ पेश करने का आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय से अपील या अन्य कार्यवाही की सूचना प्राप्त होने पर अभियुक्तगण वहाँ व्यक्तिशः उपस्थित होंगे।

प्रकरण में जब्तसुदा डम्पर नंबर आर.जे.19–जीबी–4148 व कैम्पर नंबर आर.जे.19–जीई–2430 सुपुर्दगी पर दी हुई है, जो बाद गुजरने म्याद अपील सुपुर्दगीदार के पास रहे। अन्य वजह सबूत यदि कोई हो तो, का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारण किया जावे।

(पूरण कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला

20. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 11 / 06 / 2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(पूरण कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला